तारीख हुक्म	ओम प्रकाश बनाम रामलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र 52/2020 (2020/00103)	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
22/01/2021 2020/00103	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता सुनील शर्मा ने वकालतनामा एंव सहमति का जवाब प्रस्तुत किया। जवाब की प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलायी गई। वकालतनामा एंव जवाब शामिल मिसल किया जावे। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गयी। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर बहस उभय पक्ष पर मनन किया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 अनुसार ग्राम पारलिया प०ह० देवरी तहसील चित्तौडगढ की आराजी नम्बर 87 रकबा 0.7050 90/478 रकबा 0.0200 कीता 2 कुल रकबा 0.7250 प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। विपक्षीगण ने अपना जवाब प्रस्तुत कर सहमति व्यक्त की है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम पारलिया प०ह० देवरी स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 87, 90/478 कीता 2 कुल रकबा 0.7250 हे० की बिना किसी के कब्जे मे दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्थरगढी शुल्क 1000.00 रूपए अक्षरएक हजार रूपए प्रार्थी वहन करेगा। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौडगढ को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढी की जावे एंव पालना रिपोर्ट न्यायालय मे प्रस्तुत करें। निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.01.28 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested